भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4258
दिनांक 19 अगस्त, 2025 /28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मिनिकॉय द्वीप पर अपशिष्ट निपटान सुविधा

†4258. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर एक सुरक्षित और अनुपालनीय अपशिष्ट निपटान सुविधा की आवश्यकता के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या वर्तमान अपशिष्ट निपटान स्थल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और आसपास के पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहा है;

(ग) मिनिकॉय में एक वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा विकसित करने के लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त द्वीप के लिए दीर्घकालिक अपशिष्ट प्रबंधन समाधान के कार्यान्वयन की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि प्रशासन को संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपशिष्ट निपटान सुविधा के संबंध में स्थानीय लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। वर्तमान अपशिष्ट निपटान स्थल अपशिष्ट के पृथक्करण, प्रसंस्करण और मुख्य भूमि को परिवहन हेतु भंडारण के लिए एक निर्दिष्ट केंद्रीय कचरा भण्डार है। यह स्थल द्वीप के आबादी वाले क्षेत्र से दूर है और अपशिष्ट समुद्र में नहीं जाता है।

प्रशासन ने मिनिकॉय में वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट प्रबंधन के उपाय किए हैं, जिनमें घर-घर जाकर कचरा संग्रहण, पृथक्करण, पैकिंग और अनुपयोगी कचरे को पुनर्चक्रण हेतु, मुख्य भूमि तक पहुंचाना शामिल है। प्रशासन, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान सेवाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

*****